

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट,
नई दिल्ली - 110006

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली 2025 के विधानसभा चुनावों में 85+ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा है
- मतदान केंद्रों पर 8715 स्वयंसेवक, 4218 व्हीलचेयर तैनात किए जाएँगे, ताकि मतदान केंद्रों पर मतदान करने वाले मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाया जा सके
- घर से मतदान में वृद्धि! DLAE 2025 में 7,552 मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना, जो पिछले चुनावों की तुलना में रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाता है।
- सुनिश्चित करना कि हर वोट मायने रखता है! घर से मतदान करने वाले 92% मतदाताओं ने सफलतापूर्वक अपना वोट डाला, जिसमें जिला पश्चिम में 94% मतदान हुआ।
- चुनाव आपके दरवाजे तक लाना! दिल्ली में निर्बाध घर से मतदान की सुविधा के लिए 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 206 मतदान दल तैनात किए गए।
- मतदाताओं को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना! अधिकाधिक संख्या में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अधिकाधिक चुनावी समावेशिता के लिए घर से मतदान को अपना रहे हैं।

नई दिल्ली

दिनांक: 1 फ़रवरी 2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव (डीएलएई) 2025 में घर-मतदान सुविधा में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 7,552 मतदाताओं ने इस सेवा को चुना है, जबकि डीएलएई 2020 में 2,686 और लोकसभा 2024 में 5,426 मतदाताओं ने इस सेवा को चुना है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार सुचारू और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली के एनसीटी में 11 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अधिकारियों की 206 टीमों को तैनात किया गया था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा होम वोटिंग सुविधा का उत्साहपूर्वक उपयोग किया जा

रहा है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग सुविधा उपलब्ध है, जो उन्हें अपने घरों से वोट डालने का विकल्प प्रदान करती है।

31 जनवरी, 2025 तक, पंजीकृत घर से मतदान के लिए मतदाताओं में से 92% ने सफलतापूर्वक अपना वोट डाला है, जिसमें 5,982 वरिष्ठ नागरिक (AVSC) और 998 विकलांग व्यक्ति (AVPD) शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, जिला पश्चिम ने 94% के साथ सबसे अधिक घर-मतदान दर्ज किया। ईसीआई प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, प्रतियोगियों को घर-मतदाताओं की अनुसूची और सूची के बारे में सूचित किया गया, जिससे पारदर्शी और समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित हुई। घर-मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि बढ़ती मतदाता जागरूकता और पहुंच को दर्शाती है, जो समावेशी लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

क्रम सं.	चुनाव	पंजीकृत AVSC	AVSC ने घरेलू मतदान का विकल्प चुना	AVSC ने वोट डाला	पंजीकृत AVPD	AVPD ने घरेलू मतदान का विकल्प चुना	AVPD ने वोट डाला
1.	लोकसभा 2024	97751	4578	4271	77183	848	783
2.	DLAE 2025	109063	6481	5982	79114	1071	998

लोकसभा 2024	कुल AVSC और AVPD ने पोस्टल बैलेट डाले	5054
DLAE 2025	31.01.2025 तक कुल AVSC और AVPD ने पोस्टल बैलेट डाले	6980

अब तक 6,980 लोगों ने घर बैठे मतदान की सुविधा के तहत अपने वोट डाले हैं। यह सेवा उन सभी लोगों के लिए मंगलवार तक जारी रहेगी जिन्होंने फॉर्म 12डी भरा है। इस पहल का उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान की सुविधा प्रदान करना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

दिल्ली में 85 वर्ष से अधिक आयु के या दिव्यांग (PWD) 7552 मतदाताओं ने सफलतापूर्वक फॉर्म 12D भरा है, जिससे उन्हें DLAE-2025 में घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने में मदद मिली है, और यदि वे मतदान केंद्र पर मतदान करना चुनते हैं, तो उनकी भागीदारी को और सुविधाजनक बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर 8715 स्वयंसेवक और 4218 व्हीलचेयर तैनात किए गए हैं।

मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की एक समर्पित टीम मतदाताओं के घर जाकर उनके वोट एकत्र कर रही है, ताकि मतदाताओं को इस यात्रा की तैयारी के लिए पहले से सूचित किया जा सके। बीएलओ द्वारा पहले से घर जाकर मतदान के निर्धारित दिनों के बारे में एसएमएस द्वारा सूचित

किया जाना सुविधा और पहुंच को बढ़ा रहा है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है।

सभी मतदाताओं को वोट डालने में सुविधा प्रदान करने की भावना से, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों और सभी सुरक्षा/पुलिस कर्मियों को डाक मतपत्र की सुविधा दी है , जो निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हैं , लेकिन चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केंद्र पर वोट देने में असमर्थ हैं, जहां वे वास्तव में वोट देने के हकदार हैं।

आयोग ने डाक मतपत्र की यह सुविधा सभी निजी व्यक्तियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों जैसे ड्राइवर , कंडक्टर, वाहन के क्लीनर, वीडियोग्राफर आदि को भी दी है, जिन्हें 05 फरवरी, 2025 को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा।

तदनुसार, डीईओ/आरओ द्वारा मतदान कार्मिक, डीईओ/आरओ स्टाफ, एफएसटी/एसएसटी/वीएसटी, लेखा टीम, पैरा-मेडिकस और सफाई कर्मचारियों आदि सहित ऐसे सभी कर्मचारियों से पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म-12 एकत्र किए गए। कुल मिलाकर लगभग 26,000 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इन लोगों को सुचारू मतदान के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, डीईओ/आरओ द्वारा सभी प्रशिक्षण स्थलों पर सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को स्थल , कार्यक्रम और सुविधा केंद्रों के बारे में लिखित रूप से सूचित किया गया है और उन्हें मतदान प्रक्रिया देखने का निर्देश दिया गया है। अब तक लगभग 16,000 कर्मियों ने पहले ही अपना वोट डाल दिया है। शेष कार्मिक भी 04.02.2025 तक अपना वोट डालेंगे।

पुलिस कर्मी/होमगार्ड: दिल्ली पुलिस और दिल्ली होमगार्ड से पोस्टल बैलेट जारी करने के लिए कुल 16,984 फॉर्म-12 प्राप्त हुए हैं। इन पुलिस कर्मियों की मतदान की सुविधा के लिए, प्रत्येक 70 आरओ ने अपने-अपने कार्यालयों में सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं।

होम वोटिंग की तस्वीरें



फैसिलिटेशन सेंटर पर वोटिंग की तश्वीरें

